भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **4766**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025/7 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है।

किसानों को उर्वरक राजसहायता

4766. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्यवार किसानों को प्रदान की गई उर्वरक राजसहायता की कुल राशि कितनी है तथा इससे कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;
(ख) पिछले पांच वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विशेष रूप से महाराष्ट्र में किसानों को देय राजसहायता की बकाया राशि का वर्षवार तथा जिलावार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसानों को राजसहायता राशि के भुगतान में देरी से आर्थिक बोझ पड़ता है, जिसके कारण किसान अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते तथा कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है; और
(घ) किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): सरकार किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। 'उर्वरकों में डीबीटी' प्रणाली के तहत, प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस उपकरणों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के जरिए लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% सब्सिडी जारी की जाती है। सरकार किसानों को सब्सिडी प्राप्त मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक उत्पादक/आयातक कंपनियों को सब्सिडी जारी करती है।

इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों में उर्वरक सब्सिडी के लाभार्थियों की महाराष्ट्र सहित राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष वार विशिष्ट खरीदारों की संख्या की गणना					
राज्य का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-2025
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3371	6595	3911	1182	531
आंध्र प्रदेश	1946250	2420757	2576865	2519432	1853875
अरुणाचल प्रदेश	0	0	419	385	413
असम	442794	981755	1156454	949449	519503
बिहार	5792419	8629982	8968398	7827186	5096724
चंडीगढ़	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ	1114916	1538559	1819901	1863191	1673487
दादरा और नगर हवेली	1116	3392	4748	3070	1841
दमन और दीव	0	0	0	0	0
दिल्ली	17895	16909	14966	14819	11346
गोवा	28400	38170	29747	24536	17395
गुजरात	3130956	3326198	3589418	3588487	2598304
हरियाणा	1304665	1703443	1490200	1394586	1107848
हिमाचल प्रदेश	183489	231379	223054	193130	117147
जम्मू और कश्मीर	294941	408990	429671	431806	206856
झारखंड	1184235	1099683	874493	848994	711035
कर्नाटक	1809679	2516869	2624907	2264358	1973427
केरल	282405	344075	303346	305886	208177
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	4284080	5287332	5498528	5319774	4374186
महाराष्ट्र	5005805	5063207	4856921	4575532	3694095
मणिपुर	2029	8676	7558	1870	1167
मेघालय	0	0	0	7884	7370
मिजोरम	628	1062	4430	4306	2178
नागालैंड	54	127	564	570	682
ओडिशा	1918350	2116922	1917542	1710766	1535331
पुदुचेरी	9954	14858	16824	12767	9854
पंजाब	1085844	1284385	1184946	1157442	946907
राजस्थान	2877048	3812781	4200972	3486488	2616082
सिक्किम	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	1561365	2441637	2735187	2506239	1629339
तेलंगाना	2141275	2125211	2075730	2161339	1804276
त्रिपुरा	7027	35013	82206	43694	26180
उत्तराखंड	262508	292177	273367	246165	175114
उत्तर प्रदेश	18443006	19181088	19233466	18372915	14723538
पश्चिम बंगाल	3125183	2685787	2612368	2054038	1512752

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं –

i. प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्राओं का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनानुसार उर्वरकों को भेजने की सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

******